~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-11-17 को पेश हो। प्रतिलिपि ... सतीश कुमार शर्मा Ad. ...
रीडर

29-11-17	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-12-17 को पेश हो। रीडर
8-12-17	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/~~अन्य ~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-12-17 को पेश हो। रीडर
12-12-17	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/~~अन्य ~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-12-17 को पेश हो। रीडर
15-12-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। बहस सुनी गई। उभयपक्ष के वकीलों ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 21-12-17 को पेश हो।
21-12-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। बाबू लाल जाट उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
152/2002	26.8.2002	21.12.2017

1. मिश्रीलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
2. चन्द्रमोहन पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
3. धर्मेन्द्र पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
4. गौरी बेवा कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र इन्दर दत्तक पुत्र गोरधन,बैरवा,संजयकोलोनी गंगापुर(मृतक)

1/1.बाबूलाल पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/2.राजू पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/3.बसन्त पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/4.ओमप्रकाश पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/5.मु0सम्पत्ति देवी बेवा कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/6.राजेन्द्र पुत्र पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी

2. हरलाल पुत्र रामसहाय, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
3. श्यामलाल उर्फ दिनेश पुत्र रामसहाय, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
4. सोमा बेवा रामसहाय, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
5. भौती पत्नि रामचरण, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
6. रामचरण पुत्र मूलचन्द, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 5, 6 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0नं0 946 रकबा 1 एयर, ख0नं0 947 रकबा 96 एयर, ख0नं0 948 रकबा 2 एयर, ख0 नं0 949 रकबा 77 एयर ग्राम चूली में स्थित है जो पहले इन्दर पुत्र रोडया चमार की खातेदारी व कब्जे की भूमि रही है। इन्दर के तीन पुत्र थे। सबसे बडा प्रतिवादी कजोड, कल्याण, रामसहाय । इन्दर का भाई गोरधन था जिसके स्वयं का कोई लडका नहीं था इस कारण गोरधन ने अपनी जिन्दगी में जाति की रीति रिवाज के अनुसार प्रतिवादी कजोड को ज बवह दो ढाई साल का था तभी गोद ले लिया। गोद की सारी रस्में हुई।उसके बाद कजोड

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अपने दत्तक पिता गोरधन के पास ही रहने लग गया। कजोड की परवरिश शादी विवाह आदि सभी गोरधन ने किए। गोरधन की मृत्यु के बाद उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वारिस कजोड प्रतिवादी हुआ। ग्राम चूली में गोरधन की जो खातेदारी व कब्जे की भूमि थी उसका इन्द्राज भी प्रतिवादी कजोडया के हक में हुआ जिसको कजोडया ही काश्त करता रहा और कजोडया ने गोरधन की उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी रामचरण को विक्रय कर दिया। गोरधन का गंगापुर सिटी में मकान है जिसमें प्रतिवादी कजोड ही रहता है। इस प्रकार प्रतिवादी कजोड के गोरधन के यहां गोद चले जाने के कारण उसके मूल पिता इन्दर की भूमि में कजोड का कोई हिस्सा नहीं रहा है। इन्दर पुत्र रोडया का स्वर्गवास हो चुका है। उसके मरने के बाद उसकी भूमि का इन्द्राज खातेदारी 1/2 रामसहाय पुत्र इन्दर एवं 1/2 वादीगण के हक में तस्दीक हो गया लेकिन प्रतिवादी कजोड ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके गलत तरीके से इन्दर की भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया जो वोइड इल्लीगल व विदाउट ज्यूरीडिक्शन है। चूंकि कजोड तो गोरधन के यहां गोद जा चुका था एवं गोरधन की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वह एकमात्र वारिस हो चुका था इस कारण इन्दर के खाते की भूमि में उसने जो 1/3 हिस्सा दर्ज करवाया है वह वोइड इल्लीगल विदाउट ज्यूरीडिक्शन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी कजोड ने इन्दर के जीवनकाल में एवं इन्दर के मरने के बाद कभी भी इन्दर के खाते की भूमि को काश्त नहीं किया ना ही कब्जा उसका कब्जा था। उसके हक में तो गलत इन्द्राज हुआ है। इन्दर के जीवन काल में उसके दोनों पुत्र कल्याण व रामसहाय इन्दर के साथ भूमि काश्त करते रहे और इन्दर के मरने के बाद 1/2 हिस्से का रामसहाय व 1/2 हिस्से के वादीगण खातेदार रहे। रामसहाय ने अपने जीवनकाल में भूमि ख0नं0 946, 947, 948, 949 ग्राम चूली का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 23.12.86 को विक्रय कर दिया। इसके बाद रामसहाय ने रजिस्ट्री कराने से इन्कार कर दिया तब प्रतिवादी भौती ने न्यायालय अति0 जिला जजी गंगापुर सिटी के यहां तकमील मुआयदे का दावा प्रस्तुत किया जो दि0 7.10.99 को डिक्री हो गया लेकिन राजस्व रिकार्ड में रामसहाय के हक में केवल 1/3 हिस्से का इन्द्राज होने के कारण डिक्री का अमल नहीं हो सका। वादीगण ने उक्त आराजियात में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 6 रामचरण को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया और भूमि पर कब्जा करा दिया। इस प्रकार अब उक्त आराजी में 1/6 हिस्से के वादीगण

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर

1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 6 जिसमें केवल ख0नं0 946 प्रतिवादी संख्या 6 ने नहीं खरीदा है तथा 1/2 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार टीनेन्ट है और 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 5 का ही कब्जा चला आ रहा है लेकिन इस 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का इन्द्राज खातेदारी रामसहाय के हक में चला आ रहा है इस कारण से डिक्री का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण इन्द्राज नहीं हुआ। विवादित भूमि के बारे में पूर्व में प्रतिवादी कजोड ने एक दावा कजोड बनाम रामसहाय किया था। उस दावे में भी वादीगण व प्रतिवादीगण ने कजोड के गोरधन के यहां गोद जाने का उजर लिया था और अदालत हाजा ने कजोड को गोरधन का दत्तक पुत्र मानते हुए कजोड की दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.2.99 को खारिज कर दी। यह टी0आई0 दरख्वास्त खारिज होने के बाद कजोड ने वादीगण व प्रतिवादीगण से दिनांक 21.4.2001 को राजीनामा कर लिया और स्वयं का शपथपत्र भी लिखकर दिया जिसको नोटरी द्वारा तस्दीक करा दिया जिसमें भी उसने यह लिखा कि वह गोरधन का दत्तक पुत्र है और गोरधन की सम्पत्ति पर काबिज है तथा इन्दर की सम्पत्ति व विवादित भूमि से उसका कोई वास्ता नहीं है। साथ में यह भी लिखकर दिया कि उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा रामसहाय के वारिसों का रहेगा, उक्त आराजियात में उसके हक में जो 1/3 हिस्से का इन्द्राज हो रहा है उसे वह हटवा लेगा। इससे पूर्व सन् 1998 में पूरे मोहल्ले के पंच इकट्ठे हुए और उन पंचो के समक्ष भी यह फैसला हुआ जिसकी 100/– रू0 के स्टाम्प पर लिखा पढी हुई जिस पर पंचो के भी हस्ताक्षर हैं। अब प्रतिवादी कजोड के मन में बेईमानी आ गई और उसने स्वयं द्वारा प्रस्तुत दावा कजोड बनाम रामसहाय दिनांक 20.8.2002 को अदम हाजरी में खारिज करवा लिया और राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्से को हटवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि आराजी ख0नं0 946 रकबा 1 एयर में वादीगण 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 भी 1/2 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट हैं तथा भूमि ख0नं0 947 रकबा 96 एयर, ख0नं0 948 रकबा 2 एयर, ख0नं0 949 रकबा 77 एयर ग्राम चूली में 1/6 हिस्से के वादीगण, 1/2 हिस्से के प्रतिवादी नं0 2 ता 4 खातेदार टीनेन्ट हैं। उक्त आराजियात में से कजोड का नाम हजफ फरमाया जाकर उपरोक्त अनुसार इन्द्राज किए जावें। प्रतिवादी सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

बाबू लाल भाट
सब रजिस्ट्रार कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

किया जावे कि वह उक्त भूमि के कब्जे काश्त में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के साथ किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4, 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेक इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। रामचरण प्रतिवादी ने धोखाधडी से व फर्जी तरीके से प्रतिवादी कजोड को धोखा देकर फर्जी दस्तावेज बयनामा कूट रचित किया है जिसकी फर्जियत का फौजदारी केस प्रतिवादी कजोड ने दायर कर रखा है। इन्दर व गोरधन की शामलाती भूमि साबिक ख0नं0 53/153 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कजोड की है। इस जमीन को वादीगण हडपना चाहते है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी के स्वर्गीय पिता इन्दर एवं गोरधन तथा कन्नीराम तीनों सगे भाई थे जो रोड्या के लडके थे। स्व0 रोड्या की स्वयं की अर्जित भूमि के तीनों भाई बराबर हिस्सेदार रहे हैं। वादीगण ने रोडया के पौत्र यानि कन्नीराम के पुत्र बंटी, मन्नू, पिंकी को पक्षकार नहीं बनाया है जो उदयपुर, कोटा रहते हैं। स्व0 इन्दर व गोरधन की शामलाती भूमि जो दोनों भाईयों की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी साबिक ख0नं0 738 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा , ख0नं0 53/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 209 रकबा 5 बीघा 19 विस्वा, ख0 नं0 29/5/1 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, ख0नं0 53/157 रकबा 3बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 53/153 रकबा 3बीघा 8 विस्वा कुल रकबा 20 बीघा 9 विस्वा भूमि प्रतिवादी कजोड के पिता एवं चाचा (दत्तक पिता) गोरधन की शामलाती रही है। इस भूमि में कजोड के हिस्से मे 10 बीघा साढे 4 विस्वा भूमि आती है जिसमें से मात्र 4 बीघा 4 विस्वा भूमि ही प्रतिवादी को मिली है इसलिए प्रतिवादी कजोड के हिस्से में गोरधन के हिस्से की ही भूमि जो 1/3 हिस्सा चन्दू की भूमि का दर्ज हुआ है वह सही दर्ज हुआ है। इसके अलावा 3.16 हेक्टर भूमि प्रतिवादी कजोड की वादीगण ने हडप ली है। प्रतिवादी कजोड की हिस्से की स्व0 रामसहाय ने रामचरण व उसकी पत्नि को गलत तरीके से बेच दी है। इस प्रकार प्रतिवादी कजोड को 2.55 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादीगण व रामचरण व मोती प्रतिवादी तथा प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 ने साज कर वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी कजोड ने रामचरण के ऊपर 420, 467, 471 आई.पी.सी.

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
... (रा0मा0)

मुकदमा कर रखा है। रामचरण के प्रतिवादी कजोड ने 40000/– रू0 कर्जा दे रखा है उसके लिए कजोड प्रतिवादी वसूली की कार्यवाही कर रहा है उससे बचने के लिए रामचरण ने यह वादपत्र वादीगण से साज कर पेश कराया है तथा 420, 467, 471 आई0पी0सी0 के केस से बचने के लिए झूठे तथ्यों पर यह दावा पेश किया है। प्रतिवादी कजोड के दत्तक पिता गोरधन के हिस्से की पैत्रक जमीन कुल 20 बीघा 9 विस्वा में से कजोड साबिक ख0नं0 738, 53, 209, 29/5, 53/157, 53/153 में स 1/2 भूमि का बंटवारे व अपने नाम खातेदारी कराने का हकदार है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 उक्त भूमि को मिलकर हडपना चाहते है इसलिए प्रतिवादी कजोड यह काउन्टर क्लेम पेश कर रहा है। अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अर्ज है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 कजोड का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे व प्रतिवादी को पूरा रकबा अपने दत्तकग्रहिता पिता गोरधन की पैत्रक जमीन का दिलवाया जाकर प्रतिवादी को साबिक ख0नं0 को पैत्रक जायदाद घोषित कर प्रतिवादी के नाम 1/2 भाग यानि 20 बीघा 9 विस्वा में से 10 बीघा साढे 4 विस्वा भूमि का पूरा रकबा दिया जाकर प्रतिवादी के हक मे डिक्री जारी की जावे व वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 की जमीन को पैत्रक उत्तराधिकारी के हिसाब से बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की जमीन दिलवाई जावे।

दावा एवं जबाब़ दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया मद नं0 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का कोई हिस्सा नहीं है बल्कि दो ढाई वर्ष की उम्र में ही वह गोरधन के यहां गोद चला गया था एवं गोरधन की सम्पत्ति का वारिस रहा है, मूल पिता इन्दर का पुत्र नहीं रहा न ही इन्दर की सम्पत्ति में उसका कोई हिस्सा है।

2. आया प्रतिवादी कजोड ने अपने दत्तक पिता गोरधन की भूमि ख0नं0 942, 943 ग्राम चूली को प्रतिवादी सं0 6 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर भूमि पर उसका कब्जा करा दिया और प्रतिवादी सं0 6 ही भूमि पर काबिज चला आ रहा है।

3. आया इन्दर के मरने के बाद वादीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण हि0 1/2 में रामसहाय व हि0 1/2 में वादीगण ने अपने नाम करा लिया किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने गलत तरीके से इन्दर की भूमि में अपना हि0 1/3 दर्ज करा लिया जो वोइड इल्लीगल व विदाउट ज्यूरीडिक्शन है और निरस्त होने योग्य है।

बाबू लाल जाट
उप [illegible] कलेक्टर
गंगापुर [illegible] (स0मा0)

4. आया रामसहाय ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 को दि0 23.12.96 को विक्रय कर दिया और इसकी डिक्री न्यायालय अतिरिक्त जिला जजी गंगापुर सिटी से दिनांक 7.10.99 को प्रतिवादी सं0 5 के हक में हो चुकी है।
5. आया वादीगण का ख0नं0 946 पर हि0 1/2 एवं ख0नं0 947, 948, 949 का अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 को बेच देने के बाद हि0 1/6 शेष रहा है एवं वादीगण इसी के अनुसार खातेदार घोषित होने के हकदार हैं।
6. आया प्रतिवादी सं0 1 गोरधन के गोद नहीं गया एवं उसने अपने मूल पिता इन्दर की भूमि में हि0 1/3 सही दर्ज कराया है एवं इस पर उसका कब्जा काश्त है।
7. आया विवादित भूमि के बारे में पूर्व में प्रतिवादी कजोड ने एक दावा उनवानी कजोड बनाम रामसहाय पेश किया जिसमें दि0 23.2.99 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दि0 21.4.2001 को राजीनामा हो गया तथा प्रतिवादी नं0 1 ने उसके द्वारा प्रस्तुत दावा दि0 20.8.2002 को अदम हाजरी में खारिज करवा लिया एवं अपना 1/3 हिस्सा हटवाने से इन्कार कर दिया।
8. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2054 से 2057 प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, नकल वादपत्र उनवानी सम्पत्ती वगैरा बनाम रामचरण न्यायालय एस0डी0ओ0 गंगापुर सिटी प्रदर्श–3, नकल निर्णय दि0 23.2.99 मुकदमा उनवानी कजोडमल बनाम रामसहाय वगैरा, टी0आई0 न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी प्रदर्श–4, नकल आदेशिका दिनांक 13.1.97 से 27.1.97 न्यायालय ए0डी0जे0 गंगापुर सिटी प्रदर्श–5, नकल राजीनामा दि0 21.4.01 प्रदर्श–6, नकल शपथपत्र कजोड दत्तक पुत्र गोरधन दि0 21.4.2001 प्रदर्श–7 पेश किए हैं एवं बयान वादी मिश्रीलाल, बयान गवाह गोपाल पुत्र नैंदूराम बैरवा कराए हैं।

प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से अपने जबाब के समर्थन में नकल रजिस्टर चकबंदी सं0 1991 लगायत 2000 प्रदर्श ए–1, नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 से 2022 प्रदर्श ए–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–3, नकल खतौनी सं0 2017 प्रदर्श ए–4, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श ए–5, नकल डिक्री दिनांक 7.10.99 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी मुकदमा उनवानी मु0 भौती बनाम रामसहाय वगैरा, नकल जबाब दावा मुकदमा उनवानी मु0 भौती देवी बनाम रामसहाय वगैरा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी प्रदर्श ए–7, नकल प्रार्थना पत्र रामसहाय बैरवा दिनांक 7.10.99 मुकदमा मु0 भौती देवी बनाम रामसहाय वगैरा न्यायालय

कानू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

असल जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी प्रदर्श ए–8, नकल राजीनामा दिनांक 21.4.2001 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी प्रदर्श ए–9, नकल शपथ पत्र कजोड दत्तक पुत्र गोरधन बैरवा दिनांक 21.4.2001 न्यायालय असल जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी प्रदर्श ए–10, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 4.1. 97 प्रदर्श ए–11, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 17.5.97 प्रदर्श ए–12, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 14.7.97 प्रदर्श ए–13, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 8.10.97 प्रदर्श ए–14, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 27.10.97 प्रदर्श ए–15, असल रसीद खेत बुबाई दिनांक 5.11.97 प्रदर्श ए–16, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 3.7.98 प्रदर्श ए–17, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 23.8.98 प्रदर्श ए–18, असल रसीद खेत जुताई दिनांक 12.9.98 प्रदर्श ए–19, असल रसीद खेत बुबाई दिनांक 21.11.98 प्रदर्श ए–20, असल रसीद खेत जुताई व फसल बुबाई दिनांक 4.7.99 प्रदर्श ए–21, शपथ पत्र रणजीत पुत्र नंदा बैरवा दिनांक 6.9.97 प्रदर्श ए–22, शपथ पत्र नंदा पुत्र घूडया बैरवा दिनांक 6.9.97 प्रदर्श ए–23, शपथ पत्र भागीरथ पुत्र नारायण बैरवा दिनांक 6.9.97 प्रदर्श ए–24, शपथ पत्र अशोक पुत्र मूल्या बैरवा दिनांक 6.9.97 प्रदर्श ए–25 पेश किए हैं एवं बयान प्रतिवादी भौती देवी, बयान प्रतिवादी रामचरण बैरवा, बयान गवाह लक्ष्मण लाल, बयान गवाह हरकेश कराए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है। वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब दावे के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है एवं अपनी ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

बहस पर मनन किया। पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज विवेचन एवं निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1:–आया मद नं0 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का कोई हिस्सा नहीं है बल्कि दो ढाई वर्ष की उम्र में ही वह गोरधन के यहां गोद चला गया था एवं गोरधन की सम्पत्ति का वारिस रहा है, मूल पिता इन्दर का पुत्र नहीं रहा न ही इन्दर की सम्पत्ति में उसका कोई हिस्सा है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 प्रदर्श–1 के अनुसार इन्दर की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 16.12.96 में जो खुला है उसमें 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा रामसहाय का दर्ज हुआ है। खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 से 2022 प्रदर्श ए–2 के अनुसार गोरधन की भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 कजोड के हक में खुलकर गोरधन की भूमि प्रतिवादी कजोड के नाम आ चुकी थी। वादीगण व उनके गवाह तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 तथा इनके गवाहों ने भी अपने बयानो में कजोड को गोरधन के यहां गोद जाना बताया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध फोटोकोपी मतदाता सूची विधानसभा सन् 1983 के भाग संख्या 86 के क्रमांक 351, फोटोकोपी नगरपालिका मतदाता सूची सन् 1986 वार्ड नं0 20 भाग संख्या 26 के क्रमांक 814, फोटोकोपी मतदाता सूची विधानसभा सन् 1988 भाग संख्या 115 के क्रमांक 284पर अंकित प्रविष्टियो में प्रतिवादी कजोड के पिता का नाम गोरधन दर्ज है। प्रतिवादी सं0 5, 6 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.4.2001 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–8में कजोड के पिता का नाम गोरधन दर्ज है। मूल शपथपत्र प्रदर्श ए–22 से प्रदर्श ए–25 में शपथपत्र दाताओं ने प्रतिवादी कजोड का गोरधन के यहां गोद जाना बताया है। कजोड की पत्नि सम्पत्ति ने प्रतिवादी रामचरण पर दावा जो किया उसमें प्रतिवादी कजोड के पिता का नाम गोरधन दर्ज है। इस दावे में प्रतिवादी कजोड ने जो काउन्टर क्लेम पेश किया है उसमें उसने स्वयं को गोरधन का पुत्र अंकित किया है। इन सब दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कजोड गोरधन के यहां गोद चला गया था एवं गोरधन की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति कजोड के नाम आ गई।

प्रतिवादी कजोड के वारिस प्रतिवादी 1/1 से 1/6 द्वारा इस तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे यह प्रकट होता हो कि प्रतिवादी कजोड गोरधन के गोद नहीं गया था। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी कजोड गोरधन के यहां गोद चला गया था एवं गोद जाने के पश्चात् कजोड के मूल पिता इन्दर की सम्पत्ति में उसका कोई हक, हिस्सा नहीं रहता है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया प्रतिवादी कजोड ने अपने दत्तक पिता गोरधन की भूमि ख0नं0 942, 943 ग्राम चूली को प्रतिवादी सं0 6 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय

बाबू लाल जाट
उप जि[illegible] कलेक्टर
गंगापुर [illegible]

का विक्रय कर भूमि पर उसका कब्जा करा दिया और प्रतिवादी सं0 6 ही भूमि पर काबिज चला आ रहा है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2054 से 2057 प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि ख0नं0 942, 943 ग्राम चूली कजोडया पुत्र गोरधन जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं इसमें अंकित नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 6.6.01 जो विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है, यह भूमि प्रतिवादी संख्या 6 रामचरण लाल पुत्र मूलचंद बैरवा के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। भूमि खरीद के बाद से इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 रामचरण लाल का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित है इसलिए यह तनकी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया इन्दर के मरने के बाद वादीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण हि0 1/2 में रामसहाय व हि0 1/2 में वादीगण ने अपने नाम करा लिया किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने गलत तरीके से इन्दर की भूमि में अपना हि0 1/3 दर्ज करा लिया जो वोइड इल्लीगल व विदाउट ज्यूरीडिक्शन है और निरस्त होने योग्य है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5, 6 पर था। तनकी नं0 1 में किए गए विवेचन के अनुसार प्रतिवादी कजोड का गोरधन के यहां गोद जाना सिद्ध हो चुका है। राजीनामा दिनांक 21.4.2001 प्रदर्श ए–9 व शपथ पत्र कजोड प्रदर्श ए–10 में प्रतिवादी कजोड ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में नामान्तरकरण सं0 321 दि0 2.6.97 से उसके नाम 1/3 हिस्से का जो अंकन हुआ है वह गलत हुआ है। गोरधन के गोद जाने के पश्चात् प्रतिवादी कजोड का अपने मूल पिता इन्दर की भूमि में हक व हिस्सा नहीं रहता है। प्रतिवादी कजोड का उसके दत्तक पिता गोरधन की भूमि में नाम दर्ज हो चुका है जिसे वह प्रतिवादी रामचरण को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर चुका है इसलिए प्रतिवादी कजोड के नाम इन्दर की भूमि में जो 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ है वह वोइड, इल्लीगल व विदाउट ज्यूरीशडिक्शन है एवं निरस्त किए जाने योग्य है। अतः यह तनकी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5, 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– आया रामसहाय ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 को दि0 23.12.96 को विक्रय कर दिया और इसकी डिक्री न्यायालय अतिरिक्त

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर

जिला जजी गंगापुर सिटी से दिनांक 7.10.99 को प्रतिवादी सं0 5 के हक में हो चुकी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादीगण ने नकल आदेशिका न्यायालय ए0डी0जे0 गंगापुर सिटी दिनांक 27.2.97 प्रदर्श–5, नकल राजीनामा दिनांक 21.4.2004 प्रदर्श–6, नकल शपथपत्र कजोड दि0 21.4.01 प्रदर्श–7 पेश किए हैं तथा साक्ष्य वादी पक्ष पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 तथा प्रतिवादी नं0 5 व 6 की ओर से साक्ष्य डी0डब्लू0 1 लगायत डी0डब्लू0 4 कराई है। इसके अतिरिक्त नकल डिक्री न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी दिनांक 7.10.99 प्रदर्श ए–6, जबाब दावा रामसहाय पुत्र इन्दर दिनांक 9.9.97 प्रदर्श ए–7, प्रार्थना पत्र रामसहाय पुत्र इन्दर दि0 7.10.1999 प्रदर्श ए–8, राजीनामा दिनांक 21.4.2001 प्रदर्श ए–9, शपथपत्र कजोड दि0 21.4.01 प्रदर्श ए–10, रसीद खेत जुताई, फसल बुबाई प्रदर्श ए–11 से प्रदर्श ए–21 पेश किए हैं। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी ने दिनांक 7.10.99 को डिक्री प्रतिवादी सं0 5 भोती देवी के पक्ष में जारी की है जो प्रदर्श ए–6 है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों से यह तनकी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 के पक्ष में साबित है एवं इसी अनुसार इनके पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:– आया वादीगण का ख0नं0 946 पर हि0 1/2 एवं ख0नं0 947, 948, 949 का अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 को बेच देने के बाद हि0 1/6 शेष रहा है एवं वादीगण इसी के अनुसार खातेदार घोषित होने के हकदार हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2054 से 2057 प्रदर्श–2 के अनुसार वादीगण ने पूर्व में अपने 1/3 हिस्से में विवादित भूमि ख0नं0 947, 948, 949 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपना हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं0 6 रामचरण को वर्ष 1999 में बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 5.4.99 प्रतिवादी सं0 6 के नाम दर्ज हो चुका है। तनकी नं0 1 में किए गए निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी कजोड का हिस्सा नहीं रहता है। वादीगण ख0नं0 947, 948, 949 में हिस्सा 1/3 पूर्व में ही प्रतिवादी नं0 6 को बेच चुके हैं। ख0नं0 946 में अपना 1/2 हिस्सा नहीं बेचा है इसलिए ख0नं0 946 में हिस्सा 1/2 तथा ख0नं0 947, 948, 949 में

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

का रहा हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादीगण अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :– आया प्रतिवादी सं0 1 गोरधन के गोद नहीं गया एवं उसने अपने मूल पिता इन्दर की भूमि में हि0 1/3 सही दर्ज कराया है एवं इस पर उसका कब्जा काश्त है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर था। प्रतिवादी की ओर से इस तरह का कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादी कजोड गोरधन के गोद नहीं गया हो। इसके विपरीत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने प्रतिवादी कजोड का गोरधन के यहां गोद जाने के सम्बन्ध में पंच फैसला दिनांक 21.9.98, पटेलों के शपथ पत्र प्रदर्श ए–22 से प्रदर्श ए–25, राजीनामा दिनांक 21.4.2001 प्रदर्श–6, प्रतिवादी कजोड का शपथपत्र दिनांक 21.4.2001 प्रदर्श–7, गवाहों के बयान प्रस्तुत किए हैं जिनसे प्रतिवादी कजोड का गोरधन के यहां गोद जाना भलीभांति प्रमाणित है। जब प्रतिवादी कजोड गोरधन के यहां गोद ही चला गया तो उसका अपने मूल पिता इन्दर की भूमि में कोई हक, हिस्सा नहीं रहता है इसलिए प्रतिवादी कजोड ने अपने मूल पिता इन्दर की भूमि में अपना जो 1/3 हिस्सा दर्ज करवाया है वह सही नहीं है एवं वादीगण व प्रतिवादी नं0 5, 6 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी कजोड का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी साबित नहीं होता है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध साबित होती है एवं इसी अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7 :– आया विवादित भूमि के बारे में पूर्व में प्रतिवादी कजोड ने एक दावा उनवानी कजोड बनाम रामसहाय पेश किया जिसमें दि0 23.2.99 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दि0 21.4.2001 को राजीनामा हो गया तथा प्रतिवादी नं0 1 ने उसके द्वारा प्रस्तुत दावा दि0 20.8.2002 को अदम हाजरी में खारिज करवा लिया एवं अपना 1/3 हिस्सा हटवाने से इन्कार कर दिया।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5, 6 पर था। हालांकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5, 6 ने दावा उनवानी कजोड बनाम रामसहाय की प्रति एवं आदेशिका दिनांक 20.8.2002 की प्रति प्रस्तुत नहीं की है परन्तु हस्तगत दावे के साथ संलग्न पत्रावली संख्या 111/97 दावा उनवानी कजोडमल बनाम रामसहाय वगैरा वहीं दावा है जिसका उल्लेख इस तनकी में किया गया है। यह दावा दिनांक 20.8.2002 को अदम

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

हाजरी व अदम पैरवी वादी कजोडमल खारिज हो गया। इस प्रकार यह तनकी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5, 6 के पक्ष में है तथा इसी अनुसार इनके पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 8 :– अनुतोष ?

तनकी अनुसार किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी कजोड का नाम हजफ करवा कर अपना अपना हिस्सा बतौर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम चूली में स्थित भूमि ख0नं0 946 रकबा 0.01 है0 में वादीगण को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 भौती देवी को 1/2 हिस्से का, ख0नं0 947 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 948 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 949 रकबा 0.77 है0 में वादीगण को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6 रामचरण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 5 भौती देवी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज खातेदारी दर्ज किए जावें एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के कब्जे काश्त में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दने इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. मिश्रीलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
2. मदनमोहन पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
3. धर्मेन्द्र पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
4. भौती बेवा कल्याण जाति बैरवा निवासी गंगापुर सिटी —–वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र इन्दर दत्तक पुत्र गोरधन,बैरवा,संजयकोलोनी गंगापुर(मृतक)
1/1.बाबूलाल पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/2.राजू पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/3.बसन्त पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/4.ओमप्रकाश पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/5.मु0सम्पत्ति देवी बेवा कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
1/6.राजेन्द्र पुत्र पुत्र स्व0 कजोड, बैरवा नि0 संजय कोलोनी गंगापुर सिटी
2. हरलाल पुत्र रामसहाय, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
3. श्यामलाल उर्फ दिनेश पुत्र रामसहाय, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
4. सोना बेवा रामसहाय, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
5. भौती पत्नि रामचरण, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी
6. रामचरण पुत्र मूलचन्द, बैरवा निवासी गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा घोषणां ख़ातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 152/2002

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम चूली में स्थित भूमि ख0नं0 946 रकबा 0.01 है0 में वादीगण को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 भौती देवी को 1/2 हिस्से का, ख0नं0 947 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 948 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 949 रकबा 0.77 है0 में वादीगण को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6 रामचरण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 5 भौती देवी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज खातेदारी

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दर्ज किए जावें एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के कब्जे काश्त में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुरसिटी

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मिजान		